माननीय न्यायालय वी. एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

राजोल सिंह-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1996 का सीआरएल एम. 16147/एम.

28 जनवरी, 1997

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 173-कुछ व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत चालान-चालान जमा करने के बाद कोई नया सबूत या दस्तावेज एकत्र नहीं किया गया-राज्य द्वारा पूरक चालान दाखिल करना-पूरक चालान रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित, कि एक बार धारा 173 सी. आर. पी. सी की उप-धारा (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, आगे की जाँच वर्जित नहीं है पुलिस आगे की जाँच कर सकती है, आगे सबूत ले सकती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी रिपोर्ट भेज सकती है और यदि आगे कोई सबूत या दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, तो पूरक चालान के रूप में पूरक रिपोर्ट दायर नहीं की जा सकती है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि धारा 173 सी आर पी सी की उपधारा (1) और (2) के तहत चालान जमा किए जाने के बाद आगे कोई जांच नहीं की गई है यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य को पूरक चालान दाखिल करने के लिए मजबूर करने वाले कारण क्या थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर पूरक चालान को रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 5 और 7)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के. के. अग्रवाल

उत्तरदाता की ओर से यू. के. अग्निहोत्री, अधिवक्ता,

फैसला

वी. एस. अग्रवाल न्यायमूर्ति

(1) यह, राजपाल सिंह (इसके बाद 'याचिकाकर्ता' के रूप में वर्णित) द्वारा दायर एक याचिका है, जिसमें 'धारा 151/380/120-13 आईपीसी' के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में एफ आई आर संख्या 125 दिनांक 18 मार्च, 1995, पुलिस स्टेशन, जगाधरी, में दायर पूरक चालान को रद्द करने की मांग की गई है।

(2) अभिकथित है कि 17/18 मार्च, 1995 की दरम्यानी रात को कृष्ण लाई की पत्नी श्रीमती कृष्णवंती के घर में चोरी हुई थी। अशोक कुमार चावला ने लिखित में एक आवेदन दिया था जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार बना। यह आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज किया गया था। जांच पड़ताल की गई। राम चंदर के बेटे हवेंद्र कुमार उर्फ पहाड़ी और फंगल सिंह के बेटे ब्रह्मपाल सिंह

के खिलाफ चालान पेश किया गया। चालान 16 नवंबर, 1995 को प्रस्तुत किया गया था। जब मामला अदालत में लंबित था, तब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक पूरक चालान पेश किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरक चालान जमा करना अदालत की शक्तियों का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह इस कारण है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता का नाम नहीं मिलता है। जाँच के दौरान पूरक बयान दर्ज किए गए। उन प्रकटीकरण बयानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की बुराई का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की गई है। कोई सबूत और आगे की जांच के अभाव में चालान पेश नहीं किया जा सका।

(4) दाखिल जवाब में याचिका को चुनौती दी गई है। यह माना जाता है कि शुरू में रविंदर कुमार और ब्रह्मपाल सिंह के खिलाफ चालान तैयार किया गया था। अदालत में पेश किया गया जब रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया था, तो उसने एक बयान दिया कि उसे कांस्टेबल ब्रह्मपाल सिंह ने चोरी की संपत्ति के साथ पकड़ा था और उसे याचिकाकर्ता राजपाल सिंह के सामने पेश किया गया था। याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुरी में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता ने रविंदर कुमार को छोड़ दिया। याचिकाकर्ता ने कुछ संपत्ति कांस्टेबल ब्रह्मपाल सिंह को दे दी और बाकी को अपने पास रख लिया। रविंदर कुमार के बयान के आधार पर आरोपी ब्रह्मपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी की कुछ संपत्ति बरामद हुई। जब याचिकाकर्ता को रविंदर कुमार और ब्रह्मपाल सिंह द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के बारे में पता चला, तो वह संपत्ति को अपने घर में रखकर आरोपी ब्रह्मपाल सिंह से चोरी की बची हुई संपत्ति बरामद करने में कामयाब रहा। याचिकाकर्ता ने उसे अदालत में ब्रह्मपाल सिंह का बचाव करने के सभी खर्चों को वहन करने का आश्वासन दिया।

(5) उन्होंने तर्क के दौरान केवल यह कहा कि एक बार अदालत में चालान जमा हो जाने के बाद आगे की जांच के अभाव में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ पूरक चालान दायर नहीं किया जा सकता था। उक्त विवाद को समझने के लिए धारा 173 सी आर पी सी के प्रावधानों का अच्छी तरह से संदर्भ दिया जा सकता है यह जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को संदर्भित करता है। धारा 173 सी आर पी सी की उपधारा (1) (2) और (8) को निम्नानुसार पढ़ा जाता है -.—

> '173. जाँच पूरा होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।— (1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक जांच बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी की जाएगी।
>
> .(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया हैः—
>
> (a) दलों के नाम;
>
> (b) जानकारी की प्रकृति;
>
> (c) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते

हैं;

(d) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और, यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा;

(e) क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(f) क्या उसे खंड 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।

(11)अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, सूचित करेगा, जिसके द्वारा अपराध करने से संबंधित जानकारी पहली बार दी गई थी।

XX XX XX XX

XX XX XX

(8) उप-खंड (2) के तहत एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद इस खंड की किसी भी बात को अपराध के संबंध में आगे की जांच में बाधा नहीं माना जाएगा और जहां ऐसी जांच के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है, तो वह मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे साक्ष्य के बारे में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें भेजेगा; और उप-खंड (2) से (6) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में लागू होंगे जो वे उप-धारा (2) के तहत अग्रेषित एक रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।"

उक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए और जब जांच पूरी हो जाती है, तो निर्धारित प्रारूप में मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। धारा 173 की उपधारा (8) को नई संहिता में जोड़ा गया था और इस संबंध में विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट (अध्याय 14, खंड 23) में कहा गया है --

"खंड 173 के तहत एक रिपोर्ट आम तौर पर जांच का अंत होती है। हालांकि, कभी-कभी, पुलिस अधिकारी रिपोर्ट जमा करने के बाद, खंड 173 के तहत आरोपी के अपराध या निर्दोषता को दर्शाने वाले साक्ष्य पर आता है।हमें सोचना चाहिए था कि पुलिस अधिकारी उस साक्ष्य को एकत्र कर सकते हैं और इसे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं।हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने कभी-कभी संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है कि एक बार खंड 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट भेजे जाने के बाद, पुलिस इस मामले को फिर से नहीं उठा सकती और जांच को फिर से नहीं खोल सकती है।यह दृष्टिकोण जांच एजेंसी के रास्ते में बाधा डालता है जो अभियोजन पक्ष के लिए और उस मामले के लिए यहां तक कि आरोपी के लिए भी बहुत अनुचित हो सकता है।खंड 173 में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सक्षम पुलिस अधिकारी ऐसे साक्ष्य की जांच कर सकता है और मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज सकता है।ताजा सामग्री से संबंधित

प्रतियां निश्चित रूप से अभियुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए।"

विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 173 सी आर पी सी 1973 की उप-धारा (8) क्यों जोड़ी गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जांच में कोई बाधा न आए, इसने इस संबंध में आगे की जांच की अनुमति दी। धारा 173 सी आर पी सी की उपधारा (8) स्थिति स्पष्ट करती है। एक बार धारा 173 सी आर पी सी की उप-धारा (2) के तहत विचार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, आगे की जांच वर्जित नहीं है। वह आगे की जाँच कर सकता है, और सबूत ले सकता है और इस तरह की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक है कि आगे के साक्ष्य या दस्तावेजों पर विचार किया जाए। यदि आगे किसी साक्ष्य या दस्तावेज पर विचार नहीं किया गया है, तो पूरक चालान के रूप में पूरक रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा सकती है।

(6) इस संबंध में रेशम लाल यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, अदालत ने कहा कि आगे सबूत एकत्र किए बिना, पूरक चालान दायर नहीं किया जा सकता है।

सटीक निष्कर्ष इस प्रकार हैं —

> "राज्य के विद्वान वकील संहिता में किसी भी प्रावधान की ओर इशारा नहीं कर सके जिसके तहत आगे की जांच और नए सबूत के बिना एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।इस तरह की स्थिति में, अभियोजन पक्ष संहिता की धारा 319 के प्रावधानों का सहारा ले सकता है जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी अपराध की किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने आरोपी नहीं होने के नाते कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्रवाई कर सकती है जो उसने किया प्रतीत होता है।यदि, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत है, तो मुकदमे में सबूत का नेतृत्व करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए हमेशा खुला है और यह निचली अदालत पर होगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उस अपराध के लिए आगे बढ़े जो उन्होंने किया है।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, मेरी राय है कि पुलिस द्वारा आगे की जांच किए बिना और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ और सबूत प्राप्त किए बिना बाद का आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।ऐसा होने पर, 27 अगस्त, 1979 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

कुंजलता देई बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण था। अभिनिर्धारित किया गया:-

"यदि प्रभारी अधिकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है तो वह मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में आगे की सूचना विहित प्रपत्र में भेजेगा। और जहां तक हो सके, उप-धारा (2) से (6) के प्रावधान ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्ट के संबंध में लागू होंगे जो वे उप-धारा (2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।इसलिए आगे की जांच किए बिना और किसी अपराध के संबंध में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए बिना पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उनके तर्क के समर्थन में 1981 में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय का हवाला दिया। (रेशम लाई यादव बनाम बिहार राज्य), उस मामले में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने से पहले कोई और जांच नहीं की गई थी, और यह माना गया है कि पूरक आरोप पत्र आगे की जांच किए बिना और आगे सबूत प्राप्त किए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।"

(7) बहस के दौरान, जांच अधिकारी मौजूद थे, और उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि क्या चालान जमा करने के बाद, कोई नया सबूत या दस्तावेज एकत्र किए गए थे। जवाब नकारात्मक था। इस प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि धारा 173 सी आर पी सी की उप-धारा (1) और (2) के तहत चालान जमा किए जाने के बाद, आगे की जांच की गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य को पूरक चालान दाखिल करने के लिए क्या मजबूर करने वाले कारण थे। आने वाली किसी भी नई सामग्री के अभाव में, पूरक चालान प्रस्तुत करना धारा 173 सी आर पी सी के प्रावधानों के पूरी तरह से विपरीत था, मुझे पटना और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण नहीं मिलता है|

(8) इन कारणों से, याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर पूरक चालान को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि आगे की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी। कुछ भी न्यायालय को धारा 190 सी आर पी सी के तहत या बाद में धारा 319 सी आर पी सी के तहत कानून के अनुसार स्वतः संज्ञान लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा